



परिपत्र संख्या: ०२ / 2024

विजय कुमार,
भा०पु०स०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विरतार, लखनऊ-226002.
दिनांक: लखनऊ: जनवरी १८, 2024

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप भली भाँति अवगत हैं कि 1861 से उ०प्र० पुलिस के इतिहास तथा विभिन्न उपलब्धियों एवं आयाम का संकलन (Compilation) कर उ०प्र० पुलिस का Encyclopedia तैयार किए जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उ०प्र०, लखनऊ के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें पुलिस अधीक्षक, नियम एवं ग्रन्थ तथा सेनानायक, चतुर्थ वाहिनी पीएसी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

2— उक्त समिति द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया है। अब तक UP State Archive से 1032 पत्रावलियाँ/अभिलेखों के 50000 पृष्ठों को लिस्ट कर प्राप्त किया गया। इसी प्रकार 1857 से 2015 तक के 154 पुलिस गज़ट तथा 1904 से 2012 तक के 54 प्रशासनिक रिपोर्ट (Administrative Report) से Relevant material संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त इकाई मुख्यालयों से उनके गठन के शासनादेश आदि माँग कर भी इस Encyclopedia में संरक्षित किया गया।


3— NIC से एक Search Portal का Prototype बनाया गया है जिसके माध्यम से किसी विशेष अवधि की किसी विषय से सम्बन्धित अभिलेखों को सुगमता से Search किया जा सकता है। शीघ्र ही Software को Scaleup कर Cyber audit कराने के उपरान्त यह Portal समस्त को उपलब्ध कराया जा सकेगा जो पुलिस से सम्बन्धित शोध का कार्य करने वालों के लिए काफी उपयोगी होगा।

4— उपरोक्त Archival कार्य प्रगतिशील है तथा इसे निरन्तर चलाये जाने के उद्देश्य से नियम एवं ग्रन्थ में एक पुरालेख (Archival) इकाई की स्थापना की जा रही है जो उ०प्र० पुलिस से सम्बन्धित बहुमूल्य अभिलेखों को नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता, नई दिल्ली स्थित नेशनल पुरालेख, सरकारी व गैर सरकारी लाइब्रेरी, पी.एम. म्यूजियम व लाइब्रेरी, सांसदीय लाइब्रेरी आदि से ढूँढ़ व प्राप्त कर एकत्रित करेगी। इसके लिए 01 पुलिस उपाधीक्षक सहित उत्तर प्रदेश से सभी संवर्ग के इच्छुक एवं योग्य 10 अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता है।

5— जो अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य में अपना पूर्ण योगदान देने के इच्छुक हों और जिन्हें हिन्दी (Hindi) व अँग्रेजी (English) भाषा का अच्छा ज्ञान हो, वह अपने कार्यालय/इकाई प्रमुख के माध्यम से अपना प्रार्थना-पत्र विलम्बतम दिनांक: 10.02.2024 तक पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उ०प्र०, लखनऊ को

प्रेषित कर सकते हैं ताकि उनमें से उक्त कार्य के लिए उपयोगी अधिकारी व कर्मचारी का चयन किया जा सके। कप्यूटर का ज्ञान रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

भवदीय,


(विजय कुमार)

समस्त जनपदीय/इकाई प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—पुलिस महानिदेशक, रूल्स एण्ड मैनुअल, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

— — —